



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।
वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।


पत्रांक- 4/STA.-P3-232/2012(पार्ट)- परि0- 6702 दिनांक- 29.12.17

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार एवं झारखंड के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिट की स्वीकृति हेतु दिनांक 13.12.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे राज्य परिवहन प्राधिकार की आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में संलग्न सूची के क्रम सं0- 6 से 10 तक में प्राप्त आपत्ति की सुनवाई हेतु तिथि दिनांक-28.12.2017 निर्धारित की गयी थी ।

उक्त तिथि को राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा आपत्ति की सुनवाई की गयी, जिसमें कुछ मामलों पर सुनवाई करते हुए स्थायी परमिट की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी । जबकि मद संख्या-(क-38)1 में समय-सारणी पर सहमति नहीं होने के कारण इस मद की सुनवाई पुनः दिनांक- 30.12.2017 को किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतएव दिनांक-30.12.2017 को पुनः निम्न मामलों की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के कार्यालय वेश्म में पूर्वाह्न 11:00 बजे से की जाएगी :-

क्रम सं0	सुनवाई की तिथि	मद संख्या
1.	30.12.2017	(क-38)1


उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार पटना